25/7/24 पत्रावली पेश हुई। ~~वकील प्रार्थी~~ वकील तथा वकील प्रार्थी के अप्रार्थीगण की तामिल पेश हेतु पर्याप्त अवसर दिया था फुर्सत लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज डेट तक तामिल की रसीद पेश नहीं की अतः प्रार्थी का आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है पत्रावली फौरन शुमार होकर वसूल के कम होकर दाखिल दफ्तर हो।